नई दिल्ली, सोमवार
25 फरवरी 2019
नोएडा
मूल्य ₹ 4.00
पृष्ठ 16+6=22

दैनिक जागरण

www.jagran.com
दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और प. बंगाल से प्रकाशित

बिना वीजा थाईलैंड जा सकेंगे भारतीय पर्यटक 7
खेल प्रेमी के साथ स्वस्थ राष्ट्र बने भारत: सचिन 14

नए जीएसटी दरों के कारण रियल एस्टेट में आएगा बूम

अब 45 लाख रुपये तक के अफोर्डेबल मकान पर एक फीसद जीएसटी लगेगा

जासं, नोएडा : वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल की बैठक में रविवार को घर का सपना देख रहे लोगों को बड़ी राहत दी है। काउंसिल ने रियल एस्टेट पर लगने वाली जीएसटी दरों में कटौती पर हामी भर दी है। इसके तहत अब 45 लाख रुपये तक के अफोर्डेबल मकान पर 1 फीसद जीएसटी लगेगी, वही निर्माणाधीन मकान और फ्लैट पर 5 फीसद की जीएसटी दर लगाई जाएगी। यह नई दरें एक अप्रैल से लागू की जाएंगी। इस घोषणा पर बिल्डरों ने रियल एस्टेट सेक्टर में बूम होने और निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी होने की बात कही है। बिल्डरों के मुताबिक

अफोर्डेबल हाउसिंग पर एक फीसद और निर्माणाधीन संपत्तियों पर जीएसटी को 12 से घटाकर 5 फीसद करने का निर्णय सराहनीय कदम है। निश्चित रूप से यह कदम सरकार के हाउसिंग फॉर ऑल योजना को और मजबूत बनाएगा। – **मनोज गौड़, एमडी,** गौर ग्रुप व क्रेडाई उपाध्यक्ष

इस फैसले में काउंसिल ने अफोर्डेबल हाउसिंग परियोजनाओं पर टैक्स की दर को 8 फीसद से घटाकर 1 फीसद करने का निर्णय लिया है। मेट्रो शहरों में 60 वर्ग मीटर तक के कारपेट एरिया वाले घरों को अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत वर्गीकृत किया जाएगा। गैर-मेट्रो शहरों में 90 वर्गमीटर तक के कारपेट एरिया वाले घरों को किफायती आवास के तहत वर्गीकृत किया जाएगा। 7 जीएसटी की घटी हुई दरें पुराने मकानों की बची हुई किस्तों पर भी लागू होगी।